भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 233

02 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का कार्यान्वयन और लाभार्थी कवरेज

233 # श्री बाबू राम निषादः

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः

श्री उज्जवल देवराव निकमः

श्री लहर सिंह सिरोयाः

श्री नरहरी अमीनः

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

डा. सुमेर सिंह सोलंकीः

श्री शंभू शरण पटेलः

श्री मोकरिया रामभाईः

श्री एस. सेल्वागनबेथीः

श्री नरेश बंसलः

डा. कविता पाटीदार:

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की शुरुआत से लेकर अब तक अनुमोदित, निर्माण पूर्ण हुए और भूमि पूजन किए गए घरों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सितंबर से अक्टूबर 2025 तक चलाए गए अंगीकार 2025 अभियान का ब्यौरा क्या है और अंतिम चरण के कार्यान्वयन में तेजी लाने में इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों और दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत राज्यों को आवंटित वित्तीय प्रावधान और जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को उपयुक्त साधनों के माध्यम से विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास की मांग का आकलन करना होता है। पात्र नागरिक सभी विवरणों के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवेदन और अपनी मांग दर्ज करा सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को सत्यापित करते हैं। इस योजना के तहत विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों को वरीयता दी जाती है।

पीएमएवाई-यू के तहत पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने और संभावित लाभार्थियों के बीच पीएमएवाई-यू 2.0 का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंगीकार 2025 को सितंबर 2025 में शुरू किया गया था। गतिविधियों की एक श्रृंखला इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- पीएमएवाई-यू 2.0 की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और योजना लाभों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हेल्प डेस्क

- पीएमएवाई-यू 2.0 के संभावित लाभार्थियों का मौके पर नामांकन
- पीएम सूर्य घर: मुक्त बिजली योजना, स्वास्थ्य, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत पर समर्पित शिविर तालमेल के माध्यम से पीएमएवाई-यू लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करेंगे
- पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थियों को विशेष रूप से आईएसएस घटक के लिए वित्त में आसानी प्रदान करने के लिए होम लोन की सुविधा के लिए ऋण मेले

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 114.84 लाख आवासों का निर्माण शुरू किया जा चुका हैं। जिनमें से 97.02 लाख आवास दिनांक 22.01.2026 तक पूरे हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख स्वीकृत आवास शामिल हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के लिए 15,538.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें से अब तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 4,670.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इन योजनाओं के तहत निर्मित/अधिग्रहित/खरीदे गए आवास परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पुरुष मुखिया और उनकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए और केवल उन मामलों में आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है।

दिनांक 02-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	अनुमोदित आवास (संख्या)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	1
2	आंध्र प्रदेश	41,183
3	अरुणाचल प्रदेश	5,278
4	असम	17,402
5	बिहार	1,53,681
6	चंडीगढ़ (यूटी)	22
7	छत्तीसगढ	24,799
8	दिल्ली (यूटी)	2,099
9	गोवा	28
10	गुजरात	57,472
11	हरियाणा	18,179
12	हिमाचल प्रदेश	1,386
13	जम्मू और कश्मीर	2,528
14	झारखंड	14,202
15	कर्नाटक	713
16	केरल	177
17	लद्दाख (यूटी)	151
18	लक्षद्वीप (यूटी)	-
19	मध्य प्रदेश	55,667
20	महाराष्ट्र	93,560
21	मणिपुर	3,528
22	मेघालय	2,314
23	मिजोरम	466
24	नागालैंड	-
25	ओडिशा	20,592
26	पुडुचेरी (यूटी)	2,258
27	पंजाब	29,620

क्रम संख्या	राज्य	अनुमोदित आवास (संख्या)
28	राजस्थान	55,653
29	सिक्किम	-
30	तमिलनाडु	12,048
31	तेलंगाना	1,14,220
32	त्रिपुरा	2,420
33	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव(यूटी)	420
34	उत्तर प्रदेश	3,27,378
35	उत्तराखंड	2,972
36	पश्चिम बंगाल	3,275
कुल		**10,65,692**
